रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012020-215455
CG-DL-E-16012020-215455

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
No. 17] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

विद्युत मंत्रालय
(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)
आदेश

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2019

फा .सं .CEA-PS-11-23(21)/4/2019-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स अविकिरण सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ए.एस.आई.पी.एल.), जिसका पंजीकृत कार्यालय एस-2 मनीष चैंबर, एलएससी, मयूर विहार फेज-2, नई दिल्ली-110091 है, ने पारेषण योजना "मैसर्स अविकिरन सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कच्छ, गुजरात में स्थित 285 मेगावाट विंड फार्म्स के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(2) दिनांक 18.02.2019 के द्वारा पारेषण योजना "मैसर्स अविकिरन सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कच्छ, गुजरात में स्थित 285 मेगावाट विंड फार्म्स के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के लिए मेसर्स ए.एस.आई.पी.एल. को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "मैसर्स अविकिरन सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कच्छ, गुजरात में स्थित 285 मेगावाट विंड फार्म्स के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं :

(i) ASIPL पूलिंग स्टेशन - भुज PS 220 kV S / c लाइन (300 मेगावाट की न्यूनतम क्षमता के साथ)*

* लाइन की लंबाई लगभग 82 किमी है, जिसे एएसआईपीएल पूलिंग स्टेशन से भुज पीएस तक 4 खंडों में लागू किया जाएगा, जो निम्नलिखित है:

(a) सेक्शन -1: एएसआईपीएल द्वारा 48 किमी डी / सी लाइन को डी / सी टॉवर (दोनों सर्किट को दोनों सिरों पर कड़ा और गुच्छा किया जाएगा)

(b) सेक्शन -2: एएसआईपीएल द्वारा एम / सी (चार सर्किट) टॉवर पर 4 किमी एस / सी लाइन बनाई जायेगी।

(c) सेक्शन -3: 26 किमी एस / सी लाइन मैसर्स ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड (जीआईडब्ल्यूईएल) के एम / सी टावरों पर बनाई जायेगी।

(d) सेक्शन -4: 2 किमी S / c लाइन मेसर्स रेन्यू विंड (AP2) प्राइवेट लिमिटेड (Renew) के M / c टावरों पर बनाई जायेगी। इसके अलावा मैसर्स एएसआईपीएल लगभग 2 किमी एस / सी लाइन D / c टावरों पर M / s GIWEL और M / s RENEW के मल्टी सर्किट वर्गों के बीच में बनाएगा।

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

क्रम सं.	गांव का नाम	तालुका का नाम	जिला का नाम
1	जूरा, जूरिया	भुज	भुज (कच्छ)
2	बाडी, निरोना, ओरीरा, बिबार, खरडिया ,हरिपार, भीमसार, वीर रखाल, रतमिया , देवसार (देवपार), लखियावीरा, देवसार, अराल नानी, सुखपर (वीरानी), भरपर, वीरानी मोती, नखत्राणा, वीरानी नानी, खंभला, कोटडा जादोदर, माथल, जडोदर, कडिया नाना, कडिया मोटा, तोडिया, खुम्भादि मोती, खुम्भादि नानी, रसालिया, उगेडी, रम्पार (सरवा), नेतरा, रंगयपदार, भुंजे मोती, खिरसरा, बंदियारा, बंदिया, लक्ष्मीपुर (भुंजे)	नखत्राणा	भुज(कच्छ)
3	भदारा मोटा, भदारा नाना, देदरनी, भारापार (भडरावली), कंधोरा, संभाडा, मुर्चबाना, कोटडा , डेनमा, मताना मध	लखपत	भुज (कच्छ)
4	जगलिया	अब्दासा	भुज (कच्छ)

मेसर्स अविकिरण सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है । अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स अविकिरण सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक को "मैसर्स अविकिरन सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कच्छ, गुजरात में स्थित 285 मेगावाट विंड फार्म्स के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 13.04.2019 से 19.04.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vii) मेसर्स ए.एस.आई.पी.एल. को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

पी. सी. कुरील , सचिव, के.वि.प्रा.

[विज्ञापन-III/4/असा./402/19]

MINISTRY OF POWER

(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 2nd December 2019

F. No. CEA-PS-11-23(21)/4/2019-PSPA-I Division.—Whereas M/s. Avikiran Solar India Private Limited (ASIPL), the applicant with its registered office at S-2, Manish Chamber, LSC, Mayur Vihar Phase-II, New Delhi–110091, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity system of M/s. Avikiran Solar India Private Limited for its 285 MW wind farms in Kutch, Gujarat".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(2) dated 18.02.2019 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s. Avikiran Solar India Private Limited for the transmission scheme "Connectivity system of M/s. Avikiran Solar India Private Limited for its 285 MW wind farms in Kutch, Gujarat".

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity system of M/s Avikiran Solar India Private Limited for its 285 MW wind farms in Kutch, Gujarat" with the following scope of work:

i. ASIPL Pooling Station – Bhuj PS 220 kV S/c line (with minimum capacity of 300 MW)

*Line length is approx. 82 km, which would be implemented in 4 sections from ASIPL Pooling Station to Bhuj PS:

(a) Section-1: 48 km. D/c line on D/c tower (both circuits would be strung and bunched at both

ends) by ASIPL.

(b) Section-2: 4 km. S/c line on M/c (Four circuits) towers by ASIPL.

(c) Section-3: 26 km. S/c line would be strung on M/c towers of M/s. Green Infra Wind Energy Limited (GIWEL).

(d) Section-4: 2 km. S/c line would be strung on M/c towers of M/s Renew Wind (AP2) Private Limited (Renew). In addition, M/s. ASIPL will implement approx. 2 km S/c line on D/c towers in between multi circuit sections of M/s. GIWEL and M/s. Renew.

The overhead line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

S.No.	Village	Tehsil/ Taluka	District
1	Zura, Zuriya,	Bhuj	Bhuj (Kutch)
2	Badi, Nirona, Orira, Bibar, Kharadiya, Hirapar, Bhimsar, Vir Rakhal, Ratamiya, Devisar (Devpar), Lakhiyarvira, Devsar, Aral Nani, Sukhpar (Virani), Bharapar, Virani Moti, Nakhatrana, Virani Nani, Khambhla, Kotda Jadodar, Mathal, Jadodar, Kadiya Nana, Kadiya Mota, Todiya, Khombhdi Moti, Khombhdi Nani, Rasaliya, Ugedi, Rampar (Sarva), Netra, Rangaypadar, Bhunjay Moti, Khirsara, Bandiyara, Bandiya, Lakshmipur (Bhunjay)	Nakhatrana	Bhuj (Kutch)
3	Bhadara Mota, Bhadara Nana, Dedrani, Bharapar(Bhadravali), Kandhora, Sambhada, Murchbana, Kotda, Denma, Matana Madh	Lakhpat	Bhuj (Kutch)
4	Jagaliya	Abdasa	Bhuj (Kutch)

M/s. Avikiran Solar India Private Limited (ASIPL) had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s. Avikiran Solar India Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity system of M/s. Avikiran Solar India Private Limited for its 285 MW wind farms in Kutch, Gujarat". The details of the works are published in the Gazette of India dated 13th April – 19th April, 2019.

(v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector/Chief Electrical Inspector of Central Government.

(vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vii) M/s ASIPL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

P. C. KUREEL, Secy., CEA

[ADVT.-III/4/Exty./ 402/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2020.01.16 14:15:26 +05'30'